

OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC (HQ-II): DELHI TRAFFIC POLICE HDQRS., DEV PRAKASH SHASTRI MARG, PUSA, NEW DELHI

Sub: - Regarding amendment in 'No Entry' restriction timings imposed by Delhi Traffic Police for 'Day time' and 'Peak hours'.

Enclosed please find herewith a copy gazette notification published in Delhi Gazette vide F.No. 20/4/2003/HP-II dated 21.06.2024 for information and to brief all prosecuting officers accordingly. Proposals may also be sent to concerned civic agencies for erection of signboards accordingly. The content of the notification may also be brought into the notice of the Transport Associations / Unions for their information.

o1/07/2024CP/TE
For Dy. Commissioner of Police
Traffic (HQ-II): Delhi.

Encls:- As above.

All DCsP/T-Ranges & All ACsP/T-Districts

No. 2133 - 2166 /TE (D-II)/Traffic dated at New Delhi, the 01 /07/2024.

Copy to:-

- 1. Inspr./Computer/Traffic for uploading the copy of the notification on the website of Delhi Traffic Police.
- 2. Insprs./PIU, Enforcement Branch, RSC, Training and PRG/Traffic for information and necessary action.
- 3. SOs to Spl. CsP/Traffic (Zone-I) & (Zone-II) and Joint CP/Traffic (Ops.) for information of the officers
- 4. SOs to Addl. CsP/Traffic (HQ), (Zone-I) & (Zone-II) and DCP/T-HQ (II) for information of the officers.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255034 SG-DL-E-29062024-255034

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] No. 165] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83 [N. C. T. D. No. 83

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II (विभाग)

(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालय (2) : दिल्ली) अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2024

फा. सं. 20/4/2003/गृ.पु.II.—जबिक, भारी माल वाहनों, मध्यम माल वाहनों और हल्के माल वाहनों के परिचालन और निष्क्रिय पार्किंग के लिए एक समान प्रतिबंध समय स्थापित करना आवश्यक है, जैसािक दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा समय—समय पर लागू किया गया है, तािक यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित प्रतिबंध समय के अनुरूप हो सके।

इसलिए, मै, एस. के. सिंह, उपायुक्त पुलिस / यातायात (मुख्यालय–2), दिल्ली, "सड़कों व गलियों पर वाहनों और अन्य यातायात का दिल्ली नियंत्रण विनियम, 1980" के विनियम 30(1) जैसािक अधिसूचना संख्या 03 / विशेष कक्ष / पुलिस मुख्यालय, दिल्ली दिनॉक 03.01.1997 द्वारा संशोधित किया गया है, के तहत मुझे प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "दिन के समय" और "व्यस्त घंटों" के समय के दौरान भारी मालवाहनों, मध्यम मालवाहनों और हल्के मालवाहनों के परिचालन और निष्क्रिय पार्किंग के प्रतिबंध के समय को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करता हुँ:—

3803 DG/2024 (1)

	मौजूदा प्रतिबंध समय	संशोधित प्रतिबंध समय
दिन के समय का	प्रातः 5.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	
प्रतिबंध	प्रातः ६ बजे से रात्रि ९ बजेत क	
	प्रातः ७ बजे से रात्रि ११ बजे तक	प्रातः ७ बजे से रात्रि ११ बजे तक
	प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 10 बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से रात्रि 11 बजे तक	
	प्रातः ८ बजे से रात्रि ९ बजे तक	
	प्रातः ८ बजे से रात्रि 10 बजे तक	
	प्रातः ८ बजे से रात्रि 11 बजे तक	
	प्रातः ९ बजे से रात्रि ९ बजे तक	
व्यस्त घंटों का प्रतिबंध	प्रातः ७ बजे से प्रातः ११ बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक	प्रातः ७ बजे से प्रातः ११ बजे तक और
	प्रातः ७ बजे से दोपहर १२ बजे तक और	सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक
	सांय 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 9.30बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक	
	प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक	
	प्रातः ८ बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक	
	प्रातः ८ बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक	
	प्रातः ८.३० बजे से प्रातः ११ बजे तक	
	प्रातः ९ बजे से प्रातः 11 बजे तक और	
	सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक	
	प्रातः ९ बजे से प्रातः 10.30 बजे तक और	
	सांय 6 बजे से रात्रि 8 बज`तक	

यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सार्वजनिक सूचना के लिए दिल्ली / नई दिल्ली के सभी जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

सड़कों और क्षेत्रों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार संबंधित नागरिक निकाय सभी लोगों के मार्ग दर्शन और सुविधा के लिए प्रतिबंधों को इंगित करने वाले सूचनात्मक साइन बोर्ड स्थापित करेंगें।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इस के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

एस. के. सिंह, उपायुक्त

HOME POLICE-II (DEPARTMENT)

(Office of the dy. Commissioner of police;traffic (hq-ii) delhi)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2024

F. No. 20/4/2003/HP-II.—Whereas, it is necessary to establishuniform restriction timings for the operation and idle parking of heavy goods vehicles, medium goods vehicles, and light goods vehicles, as periodically enforced by the Delhi Traffic Police, to align with those notified by the Transport Department of Government of NCT of Delhi.

Therefore, I, S.K. Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ-II), Delhi, exercising the powers conferred upon me under Regulation 30(1) of "The Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Streets

Regulations, 1980", as amendment by notification No. 03/Spl. Cell/PHQ dated 03.01.1997, hereby amend the restriction timings for the operation and idle parking of heavy goods vehicles, medium goods vehicles, and light goods vehicles during 'daytime' and 'peak hours' in the following manner: -

	Existing restriction timings	Amended restriction timings
Day time restrictions	5.30 AM to 10.30 PM	
	6 AM to 9 PM	
	7 AM to 11 PM	
	7.30 AM to 9.30 PM	
	7.30 AM to 10 PM	7 AM to 11 PM
	7.30 AM to 11 PM	
	8 AM to 9 PM	
	8 AM to 10 PM	
	8 AM to 11 PM	
	9 AM to 9 PM	
Peak hours restrictions	7 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM	
	7 AM to 12 Noon & 4 PM to 11 PM	
	7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 9 PM	
	7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 9.30 PM	
	7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 10 PM	7 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM
	7.30 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM	
	8 AM to 11 AM & 5 PM to 9 PM	
	8 AM to 11 AM & 5 PM to 11 PM	
	8.30 AM to 11 AM	
	9 AM to 11 AM & 6 PM to 8 PM	
	9 AM to 10.30 AM & 6 PM to 8 PM	

This order shall be published in the official gazette and displaced on the notice boards of all District Deputy Commissioners of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi for public information.

The relevant civic road agencies responsible for maintaining the roads and areas shall install informational signboards indicating the restrictionsfor theguidance and convenience of everyone concerned.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

S. K. SINGH, Dy. Commissioner